



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29072025-265061
CG-DL-E-29072025-265061

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3412]
No. 3412]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 29, 2025/श्रावण 7, 1947
NEW DELHI, TUESDAY, JULY 29, 2025/SHRAVANA 7, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2025

का.आ. 3495(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ (2) और (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है।

उक्त राजमार्गों, जिन्हें अब राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना है, को उक्त तालिका के क्रमशः स्तम्भ (1), (2) और (3) में यथा-निर्दिष्ट नई क्रम संख्याओं, नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के विवरण के साथ उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया समझा जाएगा।

क्र. सं.	नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण
(1)	(2)	(3)
636	एनई 9	बिहार राज्य में मीरनगर आराजी (हाजीपुर) के पास एनएच-22 के साथ अपने जंक्शन से शुरू होकर नरहरपुर, हरलोचनपुर, बाजिदपुर, सरौंजा, रसना, परोरा, फतेहपुर को जोड़ने और हंसदाह (पूर्णिया) के पास एनएच-27 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड)।

[फा. सं. एनएच-14012/4/2025-पी ऐंड एम]

शेख अमीनखान, निदेशक

पाद टिप्पण: राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की अनुसूची, भारत के राजपत्र में दिनांक 4 अप्रैल, 2011 को प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी और पिछली बार संशोधन अधिसूचना सं. का. आ. 3376 (अ) और 3377(अ), दिनांकित 23 जुलाई, 2025 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION

New Delhi, the 29th July, 2025

S.O. 3495(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby declares each of the highways specified in columns (2) and (3) of the Table below to be a national highway.

The said highways, now declared to be national highways, shall be deemed to be specified in the Schedule to the said Act with the new serial numbers, the new national highways numbers and the description of the national highways thereof, as indicated in columns (1), (2) and (3) respectively, of the said Table.

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
636	NE 9	The expressway (Green Field) starting from its junction with NH-22 near Mirnagar Arazi (Hazipur) connecting Narharpur, Harlochanpur, Bazidpur, Saraunja, Rasna, Parora, Fatehpur and terminating at its junction with NH-27 near Hansadah (Purnia) in the State of Bihar

[F. No. NH-14012/4/2025-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Footnote: -The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was substituted vide notification number S.O.689 (E), dated 4th April, 2011 published in the Gazette of India, dated the 4th April, 2011 and subsequently amended vide notifications number S.O. 3376(E) and 3377(E) dated 23th July, 2025.